बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग
टॉल फ्री नं0– 1800–3456185

अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के लिए मोपेड –सह– आईस बॉक्स , थ्री व्हीलर तथा फोर व्हीलर वाहन के वितरण की योजना।

राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजातियों के मत्स्यपालकों को मछली के विपणन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में अनुदान पर मोपेड –सह– आईस बॉक्स , थ्री व्हीलर तथा फोर व्हीलर वाहन उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 1101 मोपेड –सह– आईसबॉक्स, 380 थ्री व्हीलर तथा 178– फोर व्हीलर वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन से ताजी मछलियाँ उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सकेगा तथा अनुसूचित जाति/जनजातियों के मत्स्य पालकों को उचित मूल्य पर मछली की बिक्री से उन्हें भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

योजना के मुख्य बिंदु निम्न हैः–

1. योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्य मछली विक्रेता जाति एवं आय प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ आवेदन पत्र जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित करना होगा। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य के द्वारा मछली के विपणन हेतु मोपेड –सह– आईस बॉक्स, थ्री व्हीलर एवं फोर व्हीलर वाहन लेने का समिति के प्रबंधकारिणी समिति का निर्णय, समिति का नाम, ग्राम एवं समिति के साथ बंदोबस्त जलकर, सदस्य का नाम, ग्राम एवं समिति के साथ बंदोबस्त जलकर, सदस्यता क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।
2. मोपेड –सह– आईस बॉक्स, थ्री व्हीलर तथा फोर व्हीलर वाहन का इकाई लागत क्रमशः ₹0.40 लाख (चालीस हजार), ₹2.40 लाख (दो लाख चालीस हजार), ₹4.40 लाख (चार लाख चालीस हजार) आकलित है।
3. चयनित अनुसूचित जाति/जनजाति लाभुकों के द्वारा मछली के विपणन हेतु मोपेड –सह– आईस बॉक्स, थ्री व्हीलर एवं फोर व्हीलर वाहन का कोटेशन समर्पित करना होगा।
4. आवेदन के साथ शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि मोपेड –सह– आईस बॉक्स, थ्री व्हीलर एवं फोर व्हीलर वाहन का प्रयोग मछली का विपणन कार्य हेतु किया जाएगा। साथ ही क्रय की तिथि से 15 वर्ष तक बिक्री नहीं करेंगे।
5. लाभुकों के चयन में प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अनुसूचित जाति/जनजाति के कम आय वाले सदस्य को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्य लाभुकों में भी न्यूनतम आय वाले को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

विशेष जानकारी के लिए अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय अथवा निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना से संपर्क करें। विस्तृत जानकारी पशु एवं मत्स्य संसाधन(मत्स्य) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या 2820 दिनांक 14.09.2016 से प्राप्त की जा सकती है जिसे विभागीय वेब साइट ***http:\\ahd.bih.nic.in*** पर देखा जा सकता है।

मत्स्य निदेशक, बिहार, पटना।